

7

फार्म

"प्रथम निवृत्त के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

जिला कोषालय अखिल भारतीय शहोल

1. अधिकारी-कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस श्रेण का नाम, जिसमें वह हो **विवेक कुमार धार**
 2. वर्तमान पंक्ति पर **जिला कोषालय अखिल भारतीय शहोल**
 3. वर्तमान वेतन **17750 + 5400** अगस्त वेतनवृद्धि को छोड़कर **17/07/15**

(1) इस विषय, उप संभाग, राज्य का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(2) सम्पत्ति का नाम तथा ज़मी		(3) भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावे कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शसकीय कर्पचारी से क्या संबंध है	(6) उसके किस प्रकार अधिकृत किण्व तथा * * * खरीद, पट्टा, बंधक, विपणन, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अलग की तरीका और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खरीद	(7) सम्पत्ति से वार्षिक आय	(8) अभिप्रेत
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
गोपालगंज लागर (म. 5)	घर (आवासीय)			15 लाख लाभग	पेटिण	पेटिण	Nil	
आमेर लागर (म. 5)		60 x 92 आवासीय भू-खण्ड		6 लाख लाभग	पेटिण	पेटिण	"	
झौली (उ. 50)		37 x 60 भू-खण्ड		25000-00 का ऑरि	पतिन	बैंक से प्राप्त	"	

इसका
 नाम **विवेक कुमार धार**
 पता **जिला कोषालय शहोल**
 विभाग **वित्त विभाग**

* यदि लागू न हो करत रीतिगत।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान मूल्य के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें आप्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 डिपॉजिटर: गणराज्य आवासीय सेवा (आवण) विभाग, 1959 के नियम 10(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनिवार्य है कि वह सेवा में चलती निवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पट्टे की अवधि के समाप्त पर खरीदना-पत्र पर पत्र प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित भूखण्ड को विभाजित में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अबल सम्पत्ति के बन्धि हैं।
 आदेशपत्र - 767 - असासपत्रि - 11-1-73 - 20,000.